

प्रपत्र-ख (2)

नगरपालिका निर्वाचन हेतु समर्थक द्वारा दिये जाने वाला

शपथ-पत्र

मैं, पिता/पति
उम्र वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत
के वार्ड संख्या, मोहल्ला, पोस्ट, थाना,
जिला, बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत के वार्ड संख्यासे *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थी का समर्थक हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबंधों से एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42 (2) के प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत के वार्ड से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के प्रस्तावक/समर्थक बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ :

*कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

*मेरे ऊपर आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ (सुस्पष्ट एवं पठनीय, क्रमांक देते हुए) निम्नवत हैं:

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लंबित है -
2. वाद संख्या-
3. आरोप की प्रकृति एवं लगाई गई धाराएँ -

स्थान -

दिनांक -

समर्थक का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट :- कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।